

Form No. IIIफर्द अहकाम
(नियम 26)अज अदालत- राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर
अशाफाक अहमद बनाम भौमू उर्फ बशीरुद्दीन वगै०

अपील संख्या 135/25 अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट

GCMS NO 2025/308

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

11.12.25

अपील श्री विष्णु चंद बंसल अधिवक्ता ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांत अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर सुना गया। अपीलांत अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांत का वाद पत्र अपीलांत अधिवक्ता एवं अपीलाट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए दावा वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांत/वादी के अधिवक्ता अन्य प्रकरण में सिविल न्यायालय में व्यस्त थे, वक्त आवाज अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। किसी अधिवक्ता के न्यायालय में हाजिर नहीं होने के कारण पक्षकार को अधिकारों से वंचित करना विधि विरुद्ध है। वादी का वाद पत्र चल अचल सम्पत्ति से संबंधित है। जिसमें हक हकूको का निर्धारण अंतिम निर्णय पर ही हो सकेगा। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 16/09 में पारित आदेश दिनांक 21.6.19 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

अपीलांत अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र वकील वादी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अपीलांत अधिवक्ता का कथन रहा कि वाद पत्र वादी की चल अचल सम्पत्ति से संबंधित है। जिसका निर्धारण अंतिम निर्णय होने पर ही हो सकता है। अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अपीलांत की और से ही प्रस्तुत किया गया है। वादी के अधिवक्ता का न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से ही प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। किसी अधिवक्ता की अनुपस्थिति या अन्य न्यायालय में व्यस्त होने का खामियाजा पक्षकार पर नहीं डाला जा सकता है। न्यायिक दृष्टिकोण से भी पक्षकारों को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील अपील एडमिशन स्तर पर ग्रहण योग्य होने से ग्रहण की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 16/09 में पारित निर्णय दिनांक 21.6.19 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण संख्या 16/09 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर विधिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण का विधि अनुसार अंतिम निर्णय पारित करे। पत्रावली में आवश्यक कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे।

निर्णय सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर